

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-1  
संख्या: 2912/VII-1/2018/08 अपील/18  
देहरादून, दिनांक: 20 नवम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु विज्ञापन सं० 201/ई-निविदा सह ई-नीलामी/विज्ञापन/भूखनि०ई०/2018-19, दिनांक 31.5.2018 के द्वारा जनपद टिहरी के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो, के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल, तहसील धनोल्टी के ग्राम मुंगलोडी के क्षेत्रान्तर्गत कुल 0.900 है० रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी एवं बोल्डर को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी तथा ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र दिनांक 2.6.2018 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। जनपद टिहरी गढ़वाल, तहसील धनोल्टी के ग्राम मुंगलोडी के क्षेत्रान्तर्गत कुल 0.900 है० रिक्त उपखनिज क्षेत्र को आवंटित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27.ग (द्वितीय चरण) के उपनियम 5 के प्रावधानानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अन्तिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3 एवं H4 घोषित किया गया। उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार H1 एवं H2 को उक्त उपखनिज क्षेत्र आवंटित किये जाने हेतु अवसर प्रदान करने पर उनके द्वारा वांछित कार्यवाही न किये जाने तथा H1 एवं H3 की बोली धनराशि में ₹ 24,94,800.00 (₹ चौबीस लाख चौरानबे हजार आठ सौ मात्र) का अत्यधिक अन्तर होने के कारण उक्त उपखनिज लॉट की ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या-453/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि०ई०/टिहरी गढ़वाल/2018-19, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 द्वारा राजस्व हित में निरस्त करते हुए उक्त उपखनिज लाट हेतु पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया विज्ञापित किये जाने का आदेश पारित किया गया।

2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के विरुद्ध उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-29.क के उप नियम 22 के प्रावधानानुसार श्री राजेश प्रसाद पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी ग्राम कैथ, पो०ओ० किंसू, तहसील धनोल्टी, जिला टिहरी गढ़वाल द्वारा शासन के समक्ष अपील योजित की गयी। प्रकरण के संबंध में शासन स्तर पर दिनांक 23.10.2018 को सुनवाई निर्धारित की गई तथा सुनवाई की तिथि से पत्र सं० 2481/VII-1/2018/08 अपील/18, दिनांक 8 अक्टूबर, 2018 द्वारा अपीलकर्ता को संसूचित करते हुए सुनवाई में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही :-

1. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. श्री आशीष गुप्ता, एडवोकेट प्रतिनिधि अपीलार्थी।
4. श्री आशीष रमोला, एडवोकेट प्रतिनिधि अपीलार्थी।
5. श्री राजेश प्रसाद, अपीलार्थी।

3. अपीलार्थी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-28क (2) में वर्णित है कि H1 के असफल होने की दशा में उसकी Earnest Money को जब्त करते हुए कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 को उसकी बोली के मूल्य का 10 प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा। उसके भी असफल होने की दशा में उसकी Earnest Money जब्त करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये सफल ई-नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक, भूतत्व एवं

खनिकर्म इकाई द्वारा की जायेगी। सभी ई-नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा Earnest Money को जब्त करते हुए ई-नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रारम्भ की जायेगी। उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के उक्त प्रावधानानुसार H1 व H2 के द्वारा उक्त लाट में कार्य करने की अनिच्छा व्यक्त किये जाने के पश्चात् H3 अर्थात् अपीलार्थी को उक्त उपखनिज लॉट आवंटित किया जाना चाहिए था, किन्तु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10.9.2018 द्वारा उक्त निविदा प्रक्रिया को निरस्त किया गया है। तदनुसार उनके द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के उक्त आदेश दिनांक 10.9.2018 को निरस्त किये जाने, उक्त लॉट हेतु पुनः की जा रही टेण्डर प्रक्रिया पर रोक लगाये जाने तथा उक्त उपखनिज लॉट को नियमतः उन्हें आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. सुनवाई में उपस्थित अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल, तहसील धनोल्टी के ग्राम मुंगलोडी के क्षेत्रान्तर्गत कुल 0.900 है० रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी एवं बोल्टर को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अन्तिम उच्चतम बोली के आधार पर H1, H2, H3 एवं H4 घोषित किया गया। H1 श्री चन्द्रवीर सिंह पुण्डीर की बोली धनराशि ₹ 39,60,495.00 है (₹ उनवालीस लाख साठ हजार चार सौ पचानबे मात्र) एवं H3 श्री राजेश प्रसाद की बोली धनराशि ₹ 14,65,695.00 (₹ चौदह लाख पैंसठ हजार छः सौ पचानबे मात्र) के मध्य कुल ₹ 24,94,800.00 (₹ चौबीस लाख चौरानबे हजार आठ सौ मात्र) का अत्यधिक अन्तर होने के कारण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उक्त उपखनिज लॉट की ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करते हुए उक्त उपखनिज लाट हेतु पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया विज्ञापित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

5. उक्त के संबंध में अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा यह तथ्य भी संज्ञान में लाया गया कि ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया के कतिपय प्रकरणों में H1 के द्वारा वांछित धनराशि जमा न किये जाने के कारण असफल होने व H2 अथवा H3...को अवसर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में H1 व H2 अथवा H1 व H3....की बोली धनराशि में अत्यधिक अन्तर पाया गया। तदनुसार सफल बोलीदाता H1 व H2, H1 व H3, H1 व H4,..... की उच्चतम बोली धनराशि में यदि 25 प्रतिशत से कम का अन्तर हो तो कोटिक्रम के निचले बोलीदाता को अवसर प्रदान किये जाने तथा यदि उक्त अन्तर 25 प्रतिशत से अधिक होता है तो राजस्व हित में ई-निविदा सह ई-नीलामी की गतिमान प्रक्रिया को निरस्त करते हुए पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया किये जाने हेतु पत्र दिनांक 6.10.2018 द्वारा प्रस्ताव शासन के मार्गदर्शन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अपील में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी पक्षकारों को सुनते हुए तथा पत्रावली में उपलब्ध सभी प्रपत्रों/अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरान्त निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :-

### आदेश

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार उपखनिज क्षेत्रों में उपखनिज के चुगान हेतु खनन/चुगान पट्टा ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जाने हैं। उक्त प्रावधान के क्रम में जनपद टिहरी गढ़वाल, तहसील धनोल्टी के ग्राम मुंगलोडी के क्षेत्रान्तर्गत कुल 0.900 है० रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्टर) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अन्तिम उच्चतम


बोली के आधार पर भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा घोषित H1 एवं H2 द्वारा वांछित कार्यवाही न किये जाने तथा प्रश्नगत क्षेत्र हेतु H3 अर्थात् अपीलार्थी की बोली ₹ 14,65,695.00 (₹ चौदह लाख पैंसठ हजार छः सौ पचानबे मात्र) की है। H1 तथा H3 की बोली धनराशि के मध्य कुल ₹ 24,94,800.00 (₹ चौबीस लाख चौरानबे हजार आठ सौ मात्र) का अत्यधिक अन्तर होने के कारण निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा उक्त उपखनिज लॉट की ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 सितम्बर, 2018 द्वारा राजस्व हित में निरस्त करते हुए उक्त उपखनिज लाट हेतु पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया विज्ञापित किये जाने का आदेश पारित किया गया। सुनवाई में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पत्र दिनांक 6.10.2018 द्वारा शासन को सन्दर्भित प्रस्ताव, जिसमें उनके द्वारा सफल बोलीदाता H1 व H2, H1 व H3, H1 व H4,..... की उच्चतम बोली धनराशि में यदि 25 प्रतिशत से कम का अन्तर हो तो कोटिक्रम के निचले बोलीदाता को अवसर प्रदान किये जाने तथा यदि उक्त अन्तर 25 प्रतिशत से अधिक होता है तो राजस्व हित में ई-निविदा सह ई-नीलामी की गतिमान प्रक्रिया को निरस्त करते हुए पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया है, का भी संज्ञान लिया गया। चूंकि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-29.क के उपनियम-24 में ई निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण, जिसका उल्लेख इस शासनादेश में वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो ऐसे प्रकरणों पर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, को अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा राजस्व हित में उक्त आदेश पारित किया गया है। अतः राजस्व हित में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10 सितम्बर, 2018 द्वारा पारित आदेश को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा तदनुसार अपील निस्तारित एवं निर्णित की जाती है।

बृजेश कुमार सन्त  
अपर सचिव

संख्या: 2912 (1)/VII-1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. श्री राजेश प्रसाद पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी ग्राम कैथ, पो०ओ० किंसू, तहसील धनौली, जिला टिहरी गढ़वाल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(बृजेश कुमार सन्त)  
अपर सचिव